जो गलतियां उधर बैठकर आप करतें थे हम उनसे बचने की कोशिश कर रहें हैं।

SPECIAL MENTIONS

Delay in mpiementation of of Manisana Ayog Report and subsequent delay in increase in wages of Journalists and Media professionals

श्री ओंकार सिंह लखावत (राजस्थान) : सभापति महोदय, एक विशेष उल्लेख के द्वारा मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, इस देश में समचार-पत्रों से जुडे हुए पत्रकार, दृश्य-श्रृव्य मीडिया से जुडे हुए पत्रकार, समाचार-पत्रिकाओं से जुडें हुए पत्रकार हैं जिनके वेतनमानों में पिछले दस वर्षों से किसी तरह का कोई रिवीजन नहीं हैं। जो आतंरिक सहायता दी गई थी वह भी बहुत कम थी। आज उनकी स्थिति यह है कि उनके लिए घर-गृहस्थी चलाना मुश्किल हो रहा है, आर्थिक तंगी इतनी है कि एक स्वतंत्र पत्रकार के नाते वे अपनी भूमिका निभाने के लिए अनेक कष्ट भुगत रहें हैं। इसलिए मणिसाना आयोग की बात की गयी थी। उसने इतना अधिक समय ले लिया तथा उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ, इस पर कोई प्रभावी कार्रवा नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बछावत आयोग को जब लागू किया गया तो इस देश के 90 प्रतिशत अखबारों ने उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया। आज भी पत्रकारों को उसके अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है। इस संदर्भ में मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा कि यदि कोई पत्रकारों को उनके वेतनमान के अनुसार वेतन ने दें तो उन अखबारों के मालिकों के ऊपर केवल दो सौ,तीन सौ, चार सौ, रूपये का जुर्माना होता है, यह भी प्रभावी रूप से लागू नहीं हो रहा है। मेरा इस बारे में सुझाव है कि बछावत आयोग की रिपोर्ट या भविष्य में जितने भी रिपोर्ट आएं उनके अनुसार यदि समाचार-पत्रों के मालिक अपने पत्रकारों को वेतन न दें तो उन समाचार-पत्रों के लिए उनसे संबधित भारत सरकार से संबधित और राज्य सरकार या और जितने उपक्रम है उनके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जो अपने पत्रकारों को बराबर वेतन न दें।

मेरा सुझाव है कि वर्किंग जनर्लिस्ट ऐक्ट में संशोधन करके सुचारू रूप से कठोर दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। यही मेरा आपसे निवेदन हैं।

श्री संजय निरूपम (महाराष्ट्र) : सभापति महोदय, श्री ओंकार सिंह लखावत ने जो विषय रखा है पत्रकारों के वेतन के संदर्भ में मैं स्वंय को उससे सम्बद्ध करते हुए माननीय श्रम मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 22 फरवरी, 1999 को उन्होनें बयान दिया था,

जो अखबार में भी आया था और जिसकी एक कटिंग मेरे पास है । Wage Board Report by March 31st: The Manisana Singh Wage Board for working journalists and non-working journalists will submit its final report by March 31st, Union Labour Minister Satyanarayan Jatia said on Sunday. मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, कितने महीने गुजर गये और अब दिसम्बर का महीना है । संयोग से मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जस्टिस राजकुमार सिंह मणिसना की रिपोर्ट कहां हैं ?आयोग की स्थिति क्या है, आयोग को एक्सटेंशन दिया गया है या नहीं दिया गया है ? यह सब बातें मैं एक श्रमजीवी पत्रकार होने के नाते सदन में रख रहा हूं । हिन्दूस्तान के तमाम पत्रकारों की तरफ से मैं माननीय श्रम मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दस वर्ष बछावत आयोग की रिपोर्ट लागू किए हुए हो गए हैं । इन दस वर्षों में देश के प्राइस इंडेक्स में तरह-तरह के बदलाव हुए हैं, मूल्य वृद्धि हुई हैं । बछावत आयोग की अनुशंसाएं पूरी तरह से लागू नहीं हुई है । कुछ बडे अखबारों ने लागू की हैं, लेकिन कुछ छोटे अखबार भी हैं जिन्होनें लागू नहीं की हैं । सबसे पहले तो यही कहूंगा कि बछावत आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करने की दिशा में श्रम मंत्रालय निर्णय ले और तमाम अखबार मालिकों को निर्देश दें ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि अलग अलग कामगार समुदायों के लिए पिछले 10 वर्षों में कई वेतन बोर्ड बने लेकिन पत्रकारों के लिए जो वेज बोर्ड बना है, उस वेज बोर्ड की रिक्मेंडेशंस को लागू करने के लिए क्यों टालमटोल की जा रही है ? पिछले 10 वर्षों में पत्रकारों का वेतन एक बार भी रिवाइज नहीं हुआ है। मैं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नहीं हूं लेकिन यह बताना चाहूंगा कि पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के लिए ज़बरदस्त लॉबिंग हुई । मंत्रालय पर सदन में और हर जगह हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी की लॉबी ने दबाव डाला और पाचंवे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया । लेकिन पत्रकारों के वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि पत्रकारों के लिए कोई बोलने वाला व्यक्ति नहीं है । पत्रकारों के लिए सदन में किसी तरह की बात नहीं होती, सदन के बाहर भी कोई नहीं बोलता । मैं माननीय श्रम मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या मणिसाना आयोग डिफंक्ट हो चुका है या इसका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है और यदि बढ़ाया जा रहा है तो कब तक बढ़ाया जा रहा है? हो सके तो सदन सदन में आज आश्वासन दे कर मंत्री महोदय यहां से जाएं कि मणिसाना आयोग की रिपोर्ट कब तक लागू कर दी जाएगी । मणिसाना आयोग की सिफारिशों में अगर बदलाव की आवश्यकता हो और पत्रकारों के प्रतिनिधि यदि चाहतें हैं तो उन बदलावों को मानते हुए, स्वीकार करते हुए उस रिपोर्ट को लागू किया जाए । मैं बताना चाहूंगा कि आज

अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के जो पत्रकार हैं, उन पत्रकारों के वेतन में भी एक तरह का भेदभाव है। अंग्रेजी के पत्रकारों का वेतन कुछ और होता है और अन्य भारतीय भाषाओं हिन्दी,मराठी, गुजराती और बंगला आदि भाषाओं के पत्रकारों का वेतन अलग होता है। इस भेदभाव को दूर करने के लिए इस मणिसाना आयोग को कुछ सजेशन दिये जाने चाहिए ताकि हर तरह के पत्रकारों को एक तरह का वेतन मिले क्योंकि जितना श्रम, जितनी मेहनत अंग्रेजी के पत्रकार करतें हैं उतना ही श्रम अन्य भारतीय भाषाओं के पत्रकार भी करतें हैं । बिल्कुल उसी तरह से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकारों की स्थिति है। इलेक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकारों को जितना वेतन मिलता है.पिंट मीडिय के पत्रकारों को उतना वेतन नहीं मिलता है जबकि दोनो मीडिया के पत्रकारों की मेनहत और परिश्रम लगभग बराबर है। सरकार की तरफ से मणिसाना आयोग को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि हर तरह के पत्रकारों का वेतन समान हो। हर तरह के पत्रकारों के वेतन को समान करना इसलिए भी जरूरी है कि सब का जीवन स्तर एक ही है, सब की मेहनत एक ही है, समाज के बाकी समुदायों का जो जीवन स्तर है, उसके बराबर जीने की सहूलियतें देने के लिए पत्रकारों के वेतन आयोग की रिपोर्ट तत्काल मंगाई जाए और उसको लागू किया जाए। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए इस संदर्भ में सदन का भी सहयोग चाहूंगा ।माननीय श्रम मंत्री जी यहां उपस्थित है, माननीय चेयरमैन साहब अगर उनको कह सकें तो बहुत मेहरबानी होगी ।

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं भी अपने आपको सम्बद्ध करती हूं।

श्री एम.वेकैंया नायडु (कर्णाटक) : संजय भाई बड़ा सुंदर बोलें हैं।

श्री संजय निरूपम : चेयमैन साहब, श्रम मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। आप उन्हें कह सकें तो मेहरबानी होगी।

MR. CHAIRMAN: पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे ।। cannot ask him now. (Interruptions)...

श्री संजय निरूपम : मंत्री जी, आप कुछ बोलना चाहें तो उठ कर बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : मैं नहीं कहूंगा, आपकी इच्छा हो तो बोल दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरूपम : मैं उनके अंदर इच्छा पैदा कर रहा हूं ताकि वह बोलें। ...(**व्यवधान**)...

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, it will be a wrong precedent. *..(Interruptions)...* If this is done now, then we will also be entitled to know the reaction of the Government *...(Interruptions)...* यह नया प्रेसिडेंट क्रियेट कर रहें हैं । जब हम सवाल उठाते हैं तो कहतें हैं कि कुछ मत बोलिए …(**व्यवधान**)…

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी (**उत्तर प्रदेश**) **:** आपस में तय कर लिया है क्या ? …(**व्यवधान**)…

SHRI MD. SALIM ((West Bengal):It is a right precedent. *...(Interruptions)...* If the Minister responds, we will welcome him. *...(Interruptions)...* But, this trend should continue and it should not be selective. ... *(Interruptions)..*

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: There were a few occasions in the past when the Government responded. *.. (Interruptions)...*

श्रम मंत्री (**श्री सत्य नारायण जटिया**) **:** माननीय सभापति जी, जैसे कि जानकारी दी गई है कि जस्टिस राजकुमार सिंह मणिसाना वेतन आयोग पत्रकारों के संदर्भ में जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है, उसमें समाचार पत्रों के समूह ने मुंबई हाईकोर्ट में जा कर के एक दरख्वास्त दी थी कि हमें भी सुनवाई का मौका दिया जाए । उसके आधार पर मुंबई उच्च न्यायालय के निर्देश पर उनको अतिरिक्त समय सुनवाई का दिया गया । अब वह सुनवाई प्राय: इस महीने में पूरी हो जाएगी , उसके बाद रिर्पोट तैयार हो कर के सरकार के पास जब आएगी, उस पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

Threat of abnormal hike in Power Tariff in cyclone affected areas of Orissa

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, with a heavy heart I rise to bring one issue to the notice of this august House and this is about the way m which a private power distribution company has responded in the aftermath of a super^cyclone in Orissa.

Sir, I will just quote from a statement of the C.E.O. of the group, which is supplying power to certain districts of Orissa. He said that the company, the Central Electricity Supply Company, which was supplying power to the districts of Bhubaneswar, Puri, Cuttack and Jagatsingpur, had incurred a loss of Rs. 300 crores due to the "super cyclone." As a result of that, they would to go to the regulatory authority in Orissa to hike the tariff by three